रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2018/ज्येष्ठ 3, 1940
No. 338]	NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2018/JYAISTHA 3, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2018

सा.का.नि. 480(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (सहायक) भर्ती नियम, 2013, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत नामतः :–

1. (1) इन नियमों को गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, (सहायक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, (सहायक) भर्ती नियम, 2013 (इन्हें इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, नामतः :—

"**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है। "

3. उक्त नियमों में, अनुसूची में, –

(क) स्तंभ 2 में "26* (2013)" की संख्या और कोष्ठक के लिए "46* (2018)" की संख्या और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(ख) स्तंभ (4) में, तत्संबंधी शीर्षक और प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, नामतः :–

" वेतन मैट्रिक्स में लेवल
(4)
लेवल – 6 (रू. 35400–112400 / –)" ;

(ग) स्तंभ (11) में, –

(I) उप शीर्षक "प्रोन्नति" के अंतर्गत, –

(i) ''वेतनबैंड –1, 5200–20200 रू0 के वेतनमान और रू. 2400 के ग्रेड वेतन में ''शब्दों, अंकों और वर्णों के स्थान पर'' लेवल–4 (रू. 25500–81100/-)'' शब्दों, अंकों और वर्णों को रखा जाएगा।

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा।

(II) उप शीर्षक ''प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन'' के अंतर्गत, –

(i) मद (क) में, –

(क) उप मद (ii) में, ''वेतनबैंड –1, (रू. 5200–20200/–) और रू. 2800/– के ग्रेड वेतन ''शब्दों, अंकों और वर्णों के स्थान पर ''लेवल–5 (रू. 29200–92300/–)'' शब्दों, अंकों और वर्णों को रखा जाएगा।

(ख) उप मद (iii) में, 'वेतनबैंड –1, (रू. 5200–20200/–) और रू. 2400 के ग्रेड वेतन'' शब्दों, अंकों और वर्णों के स्थान पर ''लेवल–4 (रू. 25500–81100/–)'' शब्दों, अंकों और वर्णों को रखा जाएगा।

ii) टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा।

(घ) स्तंभ (13) में, तत्संबंधी प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित को रखा जाएगा, नामतः :–

'' लागू नहीं होता ''।

[फा. सं. I–12014/38/2017–एनसीबी–II]

मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप–खंड (i) में दिनांक 14 फरवरी, 2013 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 82(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 14, 2013/माघ 25, 1934

No. 75] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 14, 2013/MAGHA 25, 1934

गृह मंत्रालय

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 82(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राजस्व विभाग, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (सहायक) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (सहायक) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत् आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।
1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक	26* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह–'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय ।	वेतन बैंड–2 9300–34800/– रू0 और ग्रेड वेतन, 4200/– रू0	चयन पद।	30 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) ।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री ।	लागू नहीं होता ।

					टिप्पण : आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्य क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।		

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
9	10	11
दो वर्ष ।	पंद्रह प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ; साठ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; पच्चीस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड–1, 5200–20200/– रू0 और ग्रेड वेतन 2400/– रू0 के वेतनमान में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने दस वर्ष नियमित सेवा की है । टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

		टिप्पण–2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति या आमेलन** : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :– (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड–1, (5200–20200/– रू0) और ग्रेड वेतन 2800/– रू0 में छह वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्थापना या लेखा मामलों के कार्य का दो वर्ष का अनुभव है ;

		(iii) वेतन बैंड–1, (5200–20200 / – रू0) और ग्रेड वेतन 2400 / – रू0 के वेतनमान में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने दस वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास स्थापना या लेखा मामलों के कार्य का तीन वर्ष का अनुभव है ; (ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर की डिग्री है । __टिप्पण 1.__ : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार करने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । __टिप्पण 2.__ : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।